

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019

कटौती प्रस्ताव भाग एक की मांग संख्या - 7 का शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग एक की पुस्तक में शामिल मांग संख्या 7 (वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय) -

माननीय श्री अजय चंद्राकर, सदस्य कटौती प्रस्ताव क्रमांक (1) के पश्चात् क्रमांक (2) को निम्नानुसार जोड़ा जाये -

(2) पूर्ण शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त के पश्चात् निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को सम्मिलित कर पुनर्क्रमांकित कर पढ़ा जाये :-

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
पूर्ण शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
4. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
प्रदेश में शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा